फार्म नं0 III – फर्द अहकाम (नियम 25)

**न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0) श्री गंगानगर।**

राज्य जरिये प्रदीपकुमार राजपूत, खा0सु0अधि0 बनाम M/s केसरी मिष्ठान नमकीन भण्डार, GNR

किस्म मुकदमा खा0 सु0 प्रकरण सं0 ......07......सन् 2016

| | फर्द अहकाम | |
|---|---|---|
| 26–04–16 | राज्य की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 26 की उपधारा 2(II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 26 की उपधारा 2(II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अभियुक्त को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10–6–16 को पेश हो। | N.J. 1027 / 29.04.16 |
| 10.06.16 | पत्रावली पेश हुई। अपराधी को जारी नोटिस अदम तामील प्राप्त। अपराधी को पुन: नोटिस जारी कर तलब करें। पत्रावली दिनांक 8.07.16 को पेश हो। | N.I. 1392 / 10.06.16 |
| 8.7.16 | पत्रावली पेश हुई। अपराधी को जारी नोटिस बाद / अदम तामील- अप्राप्त इंतजार नोटिस पत्रावली दिनांक 29.07.16 को पेश हो। ADM सा० अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। | |
| 29.7.16 | पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर राजकीय कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 19.8.16 को पेश हो। | अपराधी को जारी नोटिस अदम तामील-प्राप्त |
| 19.8.16 | पीठारीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ अन्य प्रशासनिक कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 16.09.16 को पेश हो। | |
| 16.9.16 | पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर ...T... कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनाक 25.10.16 को पेश हो। | |
| 25.10.16 | राज पैरोकार उप०। अभियुक्त पर नोटिस तामील नहीं हुआ- पुन: जारी किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.11.16 को पेश हो। | N.I. 2467 / 28.10.16 with पूर्व नोटिस रिजल्ट |

25/10/24 विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 30/10/2024 को पेश हो।

30/10/24 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने क कारण, आज अभिभाषक उपस्थित नही आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनाक 22/11/24 को पेश हो

22.11.2024 विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। अप्रार्थी को वर्ष 2018 से जरिये नोटिस कमांक 1392 दिनांक 10.06.2016 तलब किया गया। मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली उक्त दुकान केसरी मिष्ठान नमकीन भण्डार वर्तमान में बन्द होना पसाया गया, दुकान मालिक व आस पड़ोसियान से मालूमात किया तो कोई मालूमात नहीं चला, रिपोर्ट प्राप्त हुई। नोटिस कमांक 2647 दिनांक 28.10.2016 पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली की रिपोर्ट अनुसार श्रवणकुमार द्वारा दिया गया पता केसरी मिष्ठान भण्डार बन्द हो चुका है तथा वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर चला गया है, रिपोर्ट प्राप्त हुई। व अन्य नोटिसो पर भी आज तक एक जैसी ही रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से पत्र कमांकः 1238 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अप्रार्थी का सही पता पेश करने हेतू रिपोर्ट चाही गई जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर उनके पत्रांक 834 दिनांक 15.08.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुताबिक रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी,"**खाद्य विभाग के रिकॉर्ड व दस्तावेज और ऑनलाईन खाद्य लाईसेंस साईज FOSCOS, FSSAI का संघन अध्ययन किया और उक्त नाम की दुकान और परिवादी श्री श्रवण कुमार के नाम से खद्य लाईसैंस व दस्तावेज नहीं पाये गये।**" रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि परिवादी/अप्रार्थी वर्तमान में दिये गये पते पर निवास नहीं करता है ना ही उक्त प्रकरण में दिये गये खाद्य लाईसैंस भी वर्तमान में कार्यरत है। अतः प्रकरण प्रार्थी के दिये गये पते पर निवास नहीं करने एवं खाद्य लाईसैंस वर्तमान में कार्यरत नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी अगर पुनः खाद्य कारोबार करता पाया जाता है तो उक्त प्रकरण को पुनः रिस्टोर करवाकर कार्यवाही करने हेतू स्वतन्त्र रहेगे। निर्णय की प्रति सम्बन्धित विभाग को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर